बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0– 238 / 2020

इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2020–22 के लिए OFSS के माध्यम से विधिवत् नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 212/2020 के क्रम में सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2020–2022** में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा के लिए राज्य के +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों में 11वीं कक्षा में OFSS के माध्यम से **कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम** में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से **दिनांक 10.09.2020 से 28.09.2020 तक** ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जाना था।

2. छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने हेतु **दिनांक 15.10.2020** तक अवधि विस्तार किया जाता है। +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्रा का उक्त विस्तारित अवधि तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भर सकते है एवं शुल्क जमा कर सकते है।

3. जिन छात्र/छात्रा का शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा **दिनांक 28.09.2020** तक ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा गया है, परन्तु चालान नहीं निकल पाने अथवा अन्य किसी कारण वश शुल्क नहीं जमा कर सकें हों, तो **दिनांक 15.10.2020** तक शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए समिति का पोर्टल seniorsecondary.biharboardonline.com खुला रहेगा।

4. विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0 212/2020 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

5. अतः अनुरोध है कि प्राथमिकता देते हुए सत्र–2020–2022 के सही अभ्यर्थित्व वाले छात्र/छात्रा के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवानें की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

6. **विदित हो कि राज्य में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी शिक्षण संस्थानों में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये सूचीकरण/अनुमति आवेदन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगाये जायें, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। सूचीकरन/अनुमति आवेदन जमा करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर पंक्तिबद्ध रहते हुए फॉर्म जमा करेंगे। हरेक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। संस्थान के प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन को जमा कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र–तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने–अपने सूचीकरण/अनुमति आवेदन को निर्दिष्ट काउन्टरों पर जमा करें।**

7. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039, 2235161 पर सूचित कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

ह0 28.9.20

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक :–BSEB(SS)/ KEN/968/2020 पटना, दिनांक :–28/09/2020

प्रतिलिपिः– 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक, आई0टी0 (उ0मा0)/परीक्षा नियंत्रक (मा0)/शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. संबंधित एजेन्सी केल्ट्रॉन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. सचिव एवं अध्यक्ष के आप्त सचिव तथा विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 28.9.20

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

28/09/20